कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर

जबलपुर दिनांक 5/2/2020

विज्ञप्ति

राजसात वाहनों के नीलामी हेतु निविदा आमत्रंण सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी एवं मोटर ऑपरेटर्स की विशेष जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि जबलपुर जिले में मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा राजसात किये गये वाहनों के नीलामी के लिये सीलबंद निविदायें कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर पर आमंत्रित की जाती है। राजसात किये गये वाहन निम्न सारणी अनुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शायें स्थान पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगें। निविदा की शर्त एवं निविदा फार्म क्रय/प्राप्त किये जाने तथा अन्य जानकारी अवकाश के दिनों को छोडकर अन्य किसी भी दिन कार्यालयीन समय में दिनांक 24.02.2020 शाम 2:00 बजे तक कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला जबलपुर से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निविदायें दिनांक 24/02/2020 समय दोपहर 02 बजे तक कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर मे जमा की जा सकती है। निर्धारित दिनांक/समय में प्राप्त निविदायें दिनांक 24/02/2020 को समय दोपहर 04 बजे कलेक्टर सभाकक्ष जबलपुर में उपस्थित निविदाताओं अथवा उनके वैद्य प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा। निविदादाताओं की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रकिया में बाधक नही होगी। वाहनों का प्रकार एवं उनका ऑफसेट प्राइस निम्नानुसार है :–

क्र	स्थान का पता जहां वाहन खड़ा है	पुलिस थाना/आबकारी वृत्त का अपराध क्र	वाहन का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	निर्धारित ऑफसेट प्राइस	धरोहर राशि	मॉडल वर्ष
1	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	115/2 आबकारी विभाग	Auto	MP20G9903	3500/-	1750/-	2004
2	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	186/12 आबकारी विभाग	Pickup Van Tata 207	MP65GA0139	25000/-	12500/-	2010
3	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	259/14 आबकारी विभाग	Truck Pickup Van Tata 207	MP15G0634	38000/-	19000/-	1998
4	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	224/17 आबकारी विभाग	Truck	MP46H1051	150000/-	75000/-	2005
5	वृत कार्यालय सिहोरा, जिला जबलपुर	207/2000 आबकारी विभाग	TATA LP 1612	MP20G8006	70000/-	35000/-	खुर्द–बुर्द
6	वृत कार्यालय सिहोरा, जिला जबलपुर	28/03 आबकारी विभाग	Hero Honda CD 100 SS	MP20KD7972	3500/-	1750/-	खुर्द–बुर्द
7	वृत कार्यालय सिहोरा, जिला जबलपुर	369/17 आबकारी विभाग	Bajaj Pulser	MP20ML3342	4000/-	2000/-	खुर्द–बुर्द
8	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	210/12 आबकारी विभाग	Indica Vista Car	MO20T6719	18000/-	9000/-	2011
9	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	274/12 आबकारी विभाग	Maruti Car	MP20F7606	19000/-	9500/-	खुर्द–बुर्द
10	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	08/11 आबकारी विभाग	Hero Honda Passion	MP20MF6493	3000/-	1500/-	2008

11	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	10/11 आबकारी विभाग	Bajaj Chetak Scooter	MP20M0005	1200/-	600/-	खुर्द–बुर्द
12	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	76/10 आबकारी विभाग	Bajaj Super Scooter	MP20KC7859	1250/-	625/-	खुर्द–बुर्द
13	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	64/07 आबकारी विभाग	Scooter	MP20P4790	1300/-	650/-	खुर्द–बुर्द
14	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	37/09 आबकारी विभाग	Cycle Primium Gold	—	50/-	25/-	खुर्द–बुर्द
15	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	95/09 आबकारी विभाग	Rikshaw	NNJ-5063	80/-	40/-	खुर्द–बुर्द
16	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	319/13 आबकारी विभाग	Indica Car	MP17CA1786	16000/-	8000/-	2007
17	देशी मद्यभांडागार कजरवारा, जिला–जबलपुर	259/12 पुलिस थाना पनागर	Bulero	MP17CA0247	85000/-	42500/-	2006
18	पुलिस थाना चरगवां जिला जबलपुर	148/12 थाना चरगवां	Tata S 275 IDI	MP20LA5262	150000/-	75000/-	खुर्द–बुर्द
19	पुलिस थाना चरगवां जिला जबलपुर	13/13 थाना चरगवां	Auto 3 wheller	MP20C0898	9000/-	4500/-	खुर्द–बुर्द
20	पुलिस थाना चरगवां जिला जबलपुर	85/13 थाना चरगवां	Tata Magic	MP20T8795	80000/-	40000/-	खुर्द–बुर्द
21	पुलिस थाना अधारताल जिला जबलपुर	410/2013 थाना अधारताल	Tata Magic	MP20T6926	150000/-	75000/-	खुर्द–बुर्द
22	पुलिस थाना चरगवां जिला जबलपुर	65/13 थाना चरगवां	Pickup Van	MP20T8224	175000/-	87500/-	खुर्द–बुर्द
23	पुलिस थाना कटंगी जिला जबलपुर	113/12 थाना कटंगी	Indica Vista Car	MP15CA4338	150000/-	75000/-	खुर्द–बुर्द

निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जावेगी जिसमें **भाग–एक** में टेण्डरदाता की पहचान एवं निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में दस्तावेज तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/बैंकर चैक/बैंक केस आर्डर/ऑनलाइन चालान रखे जायेगें तथा भाग दो में ऑफर राशि प्रस्तुत की जावेगी। भाग–एक के सही पाये जाने पर भाग–दो खोला जाकर उच्चतम ऑफर की घोषणा की जावेगी। निविदा में प्राप्त राशि यदि निर्धारित ऑफसेट मूल्य से कम है तो पुनः विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

नीलामी की शर्त एवं नियम निम्नानुसार रहेगें :–

1. वाहन जिस हालत में है उसी हालत में सौंपा जावेगा। निविदादाता का यह दायित्व होगा कि वह वाहन का निरीक्षण जहॉ वाहन रखा है, वहॉ जाकर करें। सफल निविदादाता वाहन उसी स्थान से प्राप्त करेगां।
2. निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नही होगी।
3. निविदा फार्म रुपये 250/–(अक्षरी दो सौ पचास रुपये) प्रोसेसिंग शुल्क कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला जबलपुर में आनलाईन ई–चालान के माध्यम से 0039 राज्य उत्पादन शुल्क 800 अन्य प्राप्तियों जमा कर अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में दिनांक 24.02.2020 तक प्राप्त किये जा सकते है।

4. प्रत्येक वाहन की निविदा के साथ वाहन की ऑफसेट प्राइज की 50 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बैंकर्स चेक/ बैंक केस आर्डर/ऑनलाइन चालान कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर के पक्ष मे देय हो, निविदा फॉर्म के भाग–एक के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर आवेदक का नाम व पता वाहन का क्रमांक व नाम अंकित हो। इसी प्रकार निविदादाता को 50 रुपये का शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज भी निविदा फॉर्म के भाग–एक के साथ प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में उसके द्वारा घोषणा कि जावेगी के **''मैनें निविदा से संबंधित सारी शर्त एवं उपबंध समझ लिया है जो कि मुझे स्वीकार है प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा मान्य नही होगी।''**
5. सीलबंद लिफाफे पर संबंधित व्यक्ति अर्थात टेण्डरदाता का नाम व क्रय करने वाले वाहन का क्रमांक स्पष्ट अंकित करना होगा।
6. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास के पते के प्रमाणीकरण के संबंध मे :–
   - पासपोर्ट
   - स्थायी आयकर लेखा संख्या (पेन) कार्ड
   - निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (ईपिक कार्ड)
   - ड्राईविंग लायसेंस
   - फोटो युक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका
   - आधार कार्ड
7. निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होगे :–
   - अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाईल बिल
   - अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल
   - अधिकतम तीन माह पुराना एल पी जी गैस रि–फिलिंग की रसीद
   - अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल
   - किसी वित्तीय संस्थान द्वारा फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड
   - स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतम जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र
   - बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका एवं आधार कार्ड
8. प्रत्येक सीलबंद लिफाफे के उपर शब्द **''वाहन'' क्रय संबंधी निविदा एवं वाहन क्रमांक''** अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वांछित आवश्यक कार्यवाही पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
10. सफल निविदाकारों की धरोहर राशि का समायोंजन स्वीकृति राशि के विरुद्ध किया जावेगा तथा निविदाकारों को उनकी निविदा स्वीकृत होने के सात दिवस के अंदर (अवकाश के दिनों को छोडकर) स्वीकृति अनुसार समस्त राशि का भुगतान कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर के पक्ष में करना होगा। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नही होगी। समयावधि में राशि जमा नही कराने की स्थिति में निविदाकार की धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
11. प्राप्त निविदा नियत तिथि को कलेक्टर जबलपुर द्वारा गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर जबलपुर को रहेगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा वाहन के नामांतरण, टेक्स जमा करना आदि समस्त कार्यवाही हेतु शुल्क स्वयं ही वहन करना होगी। इस संबंध में नीलामी पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
13. उपरोक्त वाहनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही है तथा न ही उपलब्ध कराने का विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
14. वाहन पर किसी संस्थान, बैंक अथवा निजी व्यक्ति के फायनेंस बावत् किसी प्रकार का उत्तरदायित्व विभाग का नही होगा।

    निविदाकार उल्लेखित वाहनों का अवलोकन नीलामी दिनांक के दो दिवस पूर्व वाहन के खडे रहने के स्थल पर कर सकते है।

Nathan ...2.2020
सहायक आबकारी आयुक्त
जिला जबलपुर

पृ.क्रमांक / आब. / अप. / 2020 / 339 जबलपुर दिनांक 5/2/2020

प्रतिलिपि :–

1. आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त जनसम्पर्क बाणगंगा भोपाल की ओर विज्ञप्ति प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया विज्ञप्ति जबलपुर भोपाल संस्कण सहित तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के संबध में।
3. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि संबंधित थाना प्रभारियों, चरगवां, पनागर, अधारताल, कटंगी को निर्देशित करने का कष्ट करे कि वे विज्ञप्ति में दर्शायें वाहनों को सुस्पष्ट चिन्हित कर टेण्डरदाताओ को बतायें तथा विज्ञप्ति को सूचना पटल पर स्पष्ट दर्शायें जाने का कष्ट करें।
5. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी जिला....................................... म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
7. सहायक संचालक सूचना प्रकाशन विभाग जबलपुर की ओर समस्त प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेसनोट समाचार के रुप में प्रकाशन हेतु।
8. डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन ऑफिसर की ओर विज्ञप्ति एन.आई.सी. पोर्टल पर प्रकाशन हेतु ।
9. जिला कार्यालय के सूचना पटल पर लगाये जाने हेतु।

05.02.2020

सहायक आबकारी आयुक्त
जिला जबलपुर